4229

हस्ताक्षर ....
हाजी मो० जमील खाँ
कोषाधिकारी
27 JUN 2006
कोषागार कानपुर नगर

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 158634

प्रमाण-पत्र

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10-क के अधीन दिये गये कलेक्टर के आदेश संख्या 2911 दिनांक 10-10-94 के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश भार्गव पुत्र स्व० कैलाश नाथ भार्गव निवासी 96/2 कर्नलगंज कानपुर नगर ने स्टाम्प शुल्क के रूप में रुपये 18,00,000=00 (रुपये अट्ठारह लाख मात्र) की धनराशि चालान संख्या 914 दिनांक 24-6-06 के द्वारा कानपुर नगर के भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसायिक शाखा सिविल लाइन्स में नगद संदाय किया गया जिसकी एक प्रतिलिपि यहाँ सलग्न है

28-6-06

मुख्य कोषाधिकारी
कानपुर

अपर, जिलाधिकारी, (वि०, रा०)
कानपुर नगर

नाम ओम प्रकाश भार्गव
पिता/पति का नाम स्व. कैलाश नाथ भार्गव
पता 96/2 कर्नलगंज कानपुर
हस्ताक्षर

115/14

28/6/06

नजूल फ्रीहोल्ड 15763606/2

5000/ 50/ 50/ 5100/ 5000

श्री ओम प्रकाश भार्गव पुत्र श्री कैलाश नाथ
निवासी 96/2 कर्नलगंज कानपुर जरिये कमीशन
ने यह लेख पत्र कार्यालय उप निबन्धक कानपुर नगर
में आज दिनांक 22/11/06 को समय 6-7 बजे
प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक-द्वितीय
कानपुर नगर
22/11/06

अपर जिलाधिकारी ने इस दस्तावेज की तहरीर व तकमील अपने पदाधिकार से की है अतः हाजिरी व हस्ताक्षर से मुक्त किया गया।

उक्त श्री ओम प्रकाश भार्गव व प्रेम प्रकाश भार्गव व आदित्य प्रकाश भार्गव व दीपक
... स्वीकार किया जिनकी ...
... पर करता हूं तथा पहचान श्री अजय सहगल
... निवासी 95/197 पुखरायांरु का हाता परेड कानपुर
... श्री एस. के. चतुर्वेदी एडवोकेट कानपुर
ने की।

उप निबन्धक-द्वितीय
कानपुर नगर
22/11/06

22/11/06

हस्ताक्षर .... हाजी मो० जलील कोषाधिकारी
27 JUN 2006
कोषागार कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J58635

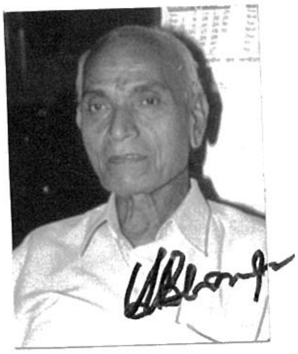

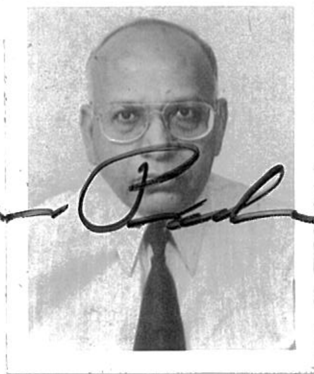

(2)

<u>पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख</u>

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाणपत्र का यह विलेख सन् 2006 ई. के नवम्बर माह के बाइसवें दिन तदनुसार शक सम्वत के मास के वें दिन को उत्तरप्रदेश के राज्यपाल (जिनको यहां आगे चलकर 'विक्रेता' कहा गया है) प्रथमपक्ष, तथा श्री ओम प्रकाश भार्गव, श्री प्रेम प्रकाश भार्गव, श्री आदित्य प्रकाश भार्गव, पुत्रगण स्व. कैलाशनाथ भार्गव, निवासीगण भवन संख्या 96/2 कर्नलगंज, कानपुर नगर, श्रीमती सत्या भार्गव, पुत्री स्व. कैलाश नाथ भार्गव,

हस्ताक्षर हाजी मो0 जमील खाँ कोषाधिकारी
27 JUN 2006
कोषागार कानपुर नगर

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH J58636

(3)

धर्मपत्नी श्री डी.एन.भार्गव, निवासी 124/180, चक इलाहाबाद, द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम – श्री ओम प्रकाश भार्गव, पुत्र स्व.कैलाशनाथ भार्गव, निवासी भवन संख्या 96/2 कर्नलगंज, कानपुर नगर, (मुख्तारनामा प्रलेख दिनांकित 7.6.2006 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इलाहाबाद – प्रथम के कार्यालय में पुस्तक संख्या 4 खण्ड 275 के पृष्ठ 1 से 10 में क्रम संख्या 265 के रूप में पंजीकृत है तथा आज के दिवस तक निरस्त नहीं है), श्रीमती सरला भार्गव, पुत्री स्व. कैलाशनाथ भार्गव, धर्मपत्नी स्व. मोतीलाल भार्गव, निवासी 15/72बी, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर, व वर्तमान निवासी कमिश्नर कम्पाउण्ड, बेतिया हाता,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 158637

(4)

गोरखपुर द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम - श्री प्रेम प्रकाश भार्गव पुत्र स्व.कैलाशनाथ भार्गव, निवासी भवन संख्या 96/2 कर्नलगंज, कानपुर नगर, (मुख्तारनामा प्रलेख दिनांकित 12.6.2006 कार्यालय उप निबन्धक गोरखपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 4 खण्ड 104 के पृष्ठ 59 से 70 में क्रम संख्या 182 के रूप में दिनांक 12.6.2006 को पंजीकृत है तथा आज के दिवस तक निरस्त नहीं है), श्रीमती निर्मला भार्गव, पुत्री स्व. कैलाशनाथ भार्गव, धर्मपत्नी स्व. ओम प्रकाश भार्गव, निवासी एस.बी.57, बापूनगर, जयपुर (राजस्थान), द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम - श्री प्रेम प्रकाश भार्गव पुत्र स्व. कैलाशनाथ भार्गव, निवासी भवन संख्या 96/2 कर्नलगंज, कानपुर नगर, (मुख्तारनामा प्रलेख दिनांकित 2.3.2002 कार्यालय उप निबन्धक जयपुर प्रथम में पुस्तक संख्या 4 जिल्द 82 के पृष्ठ 274 पर लेखपत्र संख्या 274 के रूप में दिनांक 2.3.2002 को पंजीकृत एवं लेखपत्र की प्रतिलिपि पुस्तक संख्या 4 जिल्द 416 के पृष्ठ 81 से 83 में

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

158638

क्रम संख्या 24 के रूप में पंजीकृत है तथा आज के दिवस तक निरस्त नहीं है), श्रीमती मंजू भार्गव, पुत्री स्व. कैलाश नाथ भार्गव, धर्मपत्नी श्री एस.सी. भार्गव, निवासी 62/XII हाथी भाता, अजमेर (राजस्थान) द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम - श्री ओम प्रकाश भार्गव, पुत्र स्व. कैलाश नाथ भार्गव निवासी भवन संख्या 96/2, कर्नलगंज, कानपुर नगर (मुख्तारनामा आम प्रलेख उप पंजीयक, अजमेर में पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 93 के पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2006000093 पर पंजीकृत है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 120 के पृष्ठ संख्या 567 से 573 पर चस्पा हुआ) तथा श्री प्रताप नरायन भार्गव पुत्र श्री शिव नारायन भार्गव, श्री मुकेश भार्गव पुत्र श्री प्रताप नारायन भार्गव, सुजाता, सुरेखा व संगीता भार्गव पुत्रियाँ श्री प्रताप नरायन भार्गव, निवासीगण 120-पी, माडल टाउन, सोनीपत हरियाणा, जरिए पंजीकृत मुख्तारआम - श्री दीपक भार्गव, वयस्क पुत्र स्व. पृथ्वीनाथ भार्गव, निवासी 7/48, तिलक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 158639

नगर, कानपुर नगर (मुख्तारनामा प्रलेख दिनांक 20.10.2004 ई. का पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार, सोनीपत में बही संख्या 4 के खण्ड संख्या 1609 में पृष्ठ 52 से 56 में क्रमांक 20581 के रूप में दिनांक 20.10.2004 ई. को हुआ है, तथा आज के दिवस तक निरस्त नहीं है) (जिनको यहां आगे चलकर संयुक्त रूप से 'क्रेतागण' कहा गया है) द्वितीयपक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन कौंसिल एवं लाला कन्हैया लाल बैंकर कानपुर के मध्य निष्पादित पट्टाविलेख दिनांकित 1.7.1902 ई. जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 190 के पृष्ठ संख्या 112 से 122 पर विलेख संख्या 829 के रूप में सब रजिस्ट्रार, जनपद कानपुर के कार्यालय में दिनांक 21.7.1902 ई. को पंजीकृत है (जिसे आगे 'पट्टाविलेख' कहा गया है और जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन कौंसिल को पट्टादाता और लाला

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

हस्ताक्षर .... हाजी मो० जमील खाँ
कोषाधिकारी
27 JUN 2006
कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J58640

कन्हैयालाल बैंकर, कानपुर को पट्टेदार कहा गया है) के अनुसार क्रेतागण पट्टाविलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, का पट्टेदार से पट्टागत भूमि का वैध अन्तरिती हैं।

और चूँकि क्रेतागण इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड, जिसके कि वह वैध अन्तरिती है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 23.5.1992, शासनादेश संख्या 3632/9-आ-4-92- 293एन/90 दिनांक 2.12.1992, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-95- 628एन/95 दिनांक 1.1.1996, शासनादेश संख्या 3082/9-आ-4-628एन/95 दिनांक 1.1.1994 शासनादेश संख्या 82/9-आ-4-96-629एन/95 दिनांक 17.12.1996, शासनादेश

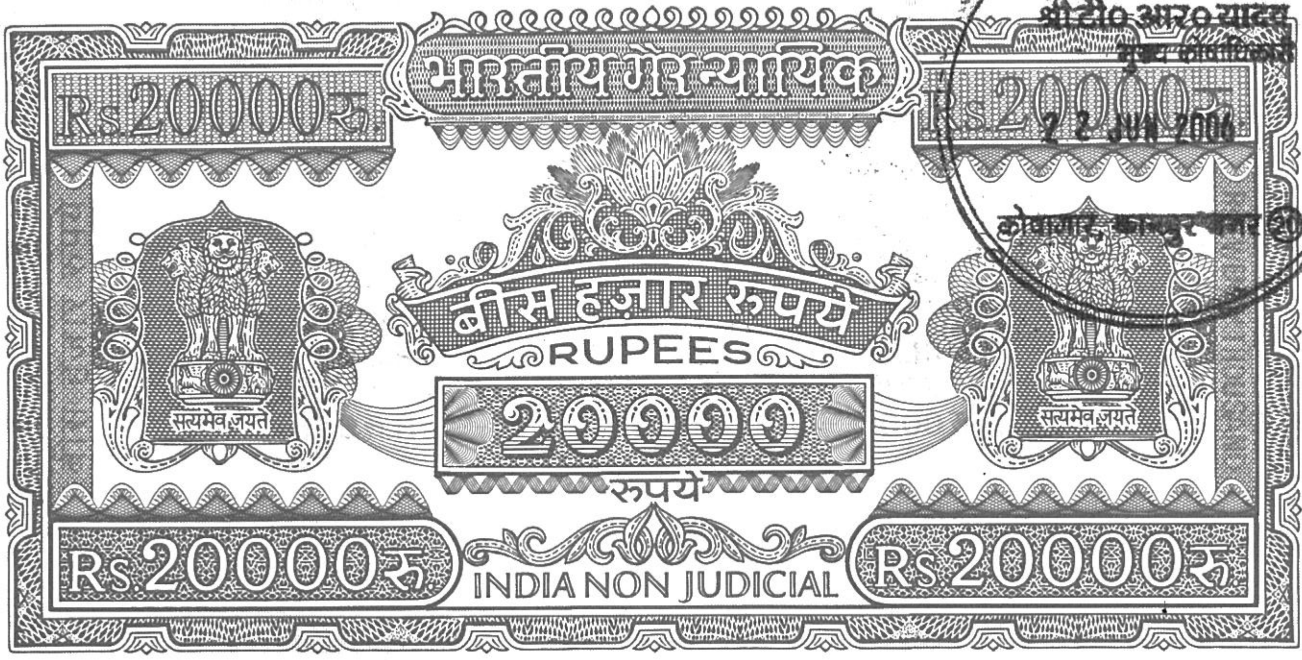

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

074225

(8)

संख्या 1300/9-आ-4-96-629एन/95(टी.सी.) दिनांक 28.8.1996, शासनादेश संख्या 2982/9-आ-4-97-260एन/97 (टी.सी.) दिनांक 26.9.1997, शासनादेश संख्या 667/9-आ-4-98-691एन/97 (टी.सी.) दिनांक 23.4.1998, शासनादेश संख्या 2268/9-आ-4-98-704 एन/97 दिनांक 1.12.1998, शासनादेश संख्या 1592/9-आ-4-99-691एन/97 (टी.सी.) दिनांक 20.5.1999 एवं शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002-152एन/2000 (टी.सी.) दिनांक 10.12.2002 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थनापत्र दिया है।

और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 718085

-52एन/2000 (टी.सी.) दिनांक 10.12.2002 के अनुसार स्व-मूल्यांकन की धनराशि रूपये 45,03,993/- (शब्दों में पैंतालिस लाख तीन हजार नौ सौ तिरानवे रूपये मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 7002 दिनांक 28.3.2003, चालान संख्या 33 दिनांक 1.5.1987, चालान संख्या 34 दिनांक 1.5.1987 द्वारा तथा दिनांक 29.3.2006 को निर्गत मांग-पत्र की धनराशि रूपये 1,12,59,613/- (शब्दों में एक करोड़ बारह लाख उनसठ हजार छह सौ तेरह रूपये मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 8101 दिनांक 26.6.2006 द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रूपये 1,57,63,606/- (शब्दों में एक करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार छह सौ छह रूपये मात्र) क्रेतागण से प्राप्त करके जिलाधिकारी, कानपुर नगर, आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्रीहोल्ड भूखण्ड) घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 718086

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा-संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्टस एक्ट (सन् 1895 ई. का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेतागण के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेतागण द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रूपये 1,57,63,606/- (शब्दों में एक करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार छह सौ छह रूपये मात्र) जनपद कानपुर नगर स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालानों द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका क्रेतागण पालन करेंगे, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न मानचित्र में 'लाल' रंग से प्रदर्शित किया गया है, को महायोजना में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20 19 JUN 2006 कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 537961

विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेतागण, उनके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेगें।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेतागण करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी मतभेद, विवाद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उनके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
कोषागार 20 10 JUN 2006 कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 537962

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेतागण वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द 'विक्रेता' और 'क्रेतागण' के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, 'विक्रेता' में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा 'क्रेतागण' में उनके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही रिट याचिका संख्या 32605/1991, सत्यनरायन कपूर बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 20430/1992 श्रीमती रफीकुन्नीसन बनाम उ.प्र. राज्य तथा रिट याचिका संख्या 16325/1994 मोहम्मद अली बनाम उ.प्र.राज्य तथा अन्य में पारित होने वाले मा. उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 397750

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेतागण ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल भूखण्ड संख्या 19, ब्लाक संख्या 12, क्षेत्रफल 8951.40 वर्गमीटर, स्थित मोहल्ला मकबराबर्ट गंज, कानपुर नगर, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

उत्तर : नजूल भूखण्ड संख्या 18

दक्षिण : मार्गाधिकार से प्रभावित खुली नजूल भूमि तत्पश्चात् रोड (महायोजनानुसार 120 फिट चौड़ी सड़क)

पूरब : नजूल भूखण्ड संख्या 16

पश्चिम : नजूल भूखण्ड संख्या 20

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20
19 JUN 2006
कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 537964

फ्रीहोल्ड के लिए क्रेतागण ने स्व-मूल्यांकन की धनराशि रूपये 45,03,993/- (शब्दों में पैंतालिस लाख तीन हजार नौ सौ तिरानवे रूपये मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 7002 दिनांक 28.3.2003, चालान संख्या 33 दिनांक 1.5.1987, चालान संख्या 34 दिनांक 1.5.1987 द्वारा तथा दिनांक 29.3.2006 को निर्गत मांग-पत्र की धनराशि रूपये 1,12,59,613/- (शब्दों में एक करोड़ बारह लाख उनसठ हजार छह सौ तेरह रूपये मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 8101 दिनांक 26.6.2006 द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रूपये 1,57,63,606/- (शब्दों में एक करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार छह सौ छह रूपये मात्र) द्वारा जमा कर दिया है।

निशानात बायां पंजा क्रेता–श्री ओम प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात दायां पंजा क्रेता–श्री ओम प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात बायां पंजा क्रेता–श्री प्रेम प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात दायां पंजा क्रेता–श्री प्रेम प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात बायां पंजा क्रेता–श्री आदित्य प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात दायां पंजा क्रेता–श्री आदित्य प्रकाश भार्गव (स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात बायां पंजा क्रेता–श्री दीपक भार्गव (बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निशानात दायां पंजा क्रेता–श्री दीपक भार्गव (बहैसियत मुख्तारआम)

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

22.11.06

राज्यपाल की ओर से तथा
उनके द्वारा अधिकृत

अपर, जिलाधिकारी, (वि०, रा०)
कानपुर नगर

क्रेतागण के हस्ताक्षर

(1)

(2)

(3)

(4)

1. साक्षी का हस्ताक्षर
पूरा नाम अभय सहगल
पता 95/19, चन्द्रशेखर का हाता परेड, कानपुर।

2. साक्षी का हस्ताक्षर
पूरा नाम एस. के. चतुर्वेदी एड०
पता कोर्ट कानपुर नगर

1. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम इन्द्रपाल सिंह
पदनाम नजूल लिपिक

2. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव
पदनाम सर्वेयर नजूल

COLLECTORATE KANPUR (NAGAR)
PLAN SHOWING NAZUL PLOT No. 19 BLOCK No. 12
AT MEGRABIRTGANJ KANPUR
(CIVIL LINES)

AREA :- 8951.40 SQ.MTR.

SCALE :- 10M = 1cM